आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
	शस्त्र वाद सं. 92/14	

सारण समाहरणालय, छपरा।

न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।

जिला विधि प्रशाखा

अमलेन्द्र कुमार बहादुर, पिता–रविन्द्र सिंह, सा0+पो0–डुमरी, थाना–मांझी, जिला–सारण

आदेश

9/12/2014

प्रस्तुत शस्त्रवाद पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 574/गो0 13.2.12 के द्वारा आवेदक अमलेन्द्र कुमार बहादुर, पिता–रविन्द्र सिंह, सा0+पो0–डुमरी, थाना–मांझी, जिला–सारण का एक रायफल की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र के साथ प्राप्त पुलिस जाँच के उपरान्त आरम्भ किया गया है।

दिनांक 22.7.14 को आवेदक की उपस्थिति में सुनवाई की गई थी एवं अभिलेख में संधारित पुलिस जॉच प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया गया था।

आवेदक के द्वारा बताया गया था कि वे उनका बजाज थ्री व्हीलर का शो रूम है एवं एकमा में ट्रैक्टर का शो रूम है। इसलिए अपने जानमाल पर खतरे की आशंका को देखते हुए एक रायफल की अनुज्ञप्ति प्रदान करने का अनुरोध किया गया।

आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन पर जॉचोपरान्त थानाध्यक्ष, मांझी के ज्ञापांक डीआर 805 दिनांक 21.3.10 एवं डी.आर. 3893 दिनांक 27.12.11, अंचलाधिकारी, मांझी के पत्रांक 32 दिनांक 1.2.12 एवं अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा के पत्रांक 266 दिनांक 7.2.12 के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन को पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 574/गो0 दिनांक 13.2.12 के द्वारा संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया।

पुलिस प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि आवेदक के जानमाल पर खतरे की आशंका से संबंधित स्पष्ट प्रतिवेदन अंकित नहीं है। अतः इस न्यायालय के पत्रांक 919 दिनांक 26.8.14 के द्वारा पुलिस अधीक्षक, सारण से खतरे की आशंका के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन की मॉग की गयी, जिसके आलोक में पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा के पत्रांक 4611/गो0 दिनांक 4.11.14 के द्वारा थानाध्यक्ष, मांझी के

प्रतिवेदन (डी.आर. 4218 दिनांक 29.9.14) को संलग्न कर प्रेषित किया गया है।

उक्त प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात् आवेदक की उपस्थिति में आज दिनांक 9.12.14 को पुनः सुनवाई की गयी एवं पुलिस प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। थानाध्यक्ष, मांझी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक को दो एजेंसी है। एक बजाज थ्री व्हीलर का तथा दूसरा एकमा में ट्रैक्टर का शो रूम है। ये एक बड़े व्यवसायी हैं, जो बराबर फील्ड में रहते हैं। छपरा, मांझी, एकमा रात–दिन आते–जाते रहते हैं। व्यवसायी व्यक्ति होने के कारण इनको बराबर जानमाल पर खतरे की आशंका बनी रहती है। इनके द्वारा अभी तक किसी प्रकार का कोई कांड दर्ज नहीं कराया गया है।

अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलनोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक के जानमाल पर खतरे की आशंका व्यक्त की गयी है। आवेदक के उपर खतरे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार थानाध्यक्ष, मांझी एवं पुलिस अधीक्षक, सारण के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा से संतुष्ट होकर आवेदक के जानमाल की सुरक्षा के लिए शस्त्र अधिनियम की धारा 13 (2–ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक V-11016/16/2009-Arms dated 31-3-2010 जो गृह आरक्षी विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 3026 दिनांक 13.4.2010 के द्वारा प्राप्त है, के आलोक में अमलेन्द्र कुमार बहादुर, पिता–रविन्द्र सिंह, सा0+पो0–डुमरी, थाना–मांझी, जिला–सारण को सम्पूर्ण बिहार क्षेत्र में वैधता के साथ एक रायफल की अनुज्ञप्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 25 /न्या० दिनांक 13/01/2015

प्रतिलिपि – पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा / जिला शस्त्र शाखा, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सारण, छपरा को उक्त आदेश को इस जिले के website पर ~~अपलो~~ upload करने हेतु प्रेषित।

13/1/15

वरीय उप समाहर्ता
13/1/15 जिला विधि शाखा सारण